रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 106] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, जून 4, 1970/ज्येष्ठ 14, 1892
No. 106] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 4, 1970/JYAISTHA 14, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATIONS

*New Delhi, the 4th June 1970*

**G.S.R. 898.**—In exercise of the powers conferred by sub-clause (ix) of clause (a) of sub-clause (1) of section 2 of the Essential Services Maintenance Act, 1968 (59 of 1968), the Central Government, being of opinion that strikes in any service in, or in connection with the working of, Calcutta Port or dock [not falling under sub-clause (iv) of the said clause (a)] would result in the infliction of grave hardship on the community, hereby declares every such service to be an essential service for the purposes of the said Act.

[No. F. 2-PLA(48)/69-I.]

## जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन स्कंध)

नई दिल्ली, 4 जून 1970

### अधिसूचनाएं

**सा० का० नि० 898** आवश्यक सेवाएं बनाए रखने का अधिनियम 1968 (1968 का 59) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखंड (IX) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार यह राय होने के कारण कि कलकत्ता पत्तन या डाक [जो उक्त खण्ड (क) के उप-

खण्ड (IV) के अन्तर्गत नहीं आता है] के कार्यकरण में या उक्त संसग में किसी सेवा में हड़तालों के परिणामस्वरूप समुदाय को बड़ी कठिनाई होगी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये प्रत्येक ऐसी सेवा को आवश्यक सेवा घोषित करती है ।

[सं० फा० 2-पी०एल०ए० (48)/69-I]

---

**G.I.R. 898A.**—Whereas the Central Government is satisfied that in he public interest it is necessary to make the following Order:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Essential Services Maintenance Act, 1968 (59 of 1968), the Central Government hereby prohibits strikes in—

(i) any service connected with the loading unloading, movement or storage of goods in the Calcutta Port of dock; and

(ii) any service in. or in connection with the working of, Calcutta Port or dock [not falling under clause (i)], declared by the notification of the Government of India, Ministry of Shipping and Transport No. G.S.R.....dated the 4th June, 1970.

[No. F. 2-PLA(48)/69-II.]

K. NARAYANAN, Jt. Secy.

---

**सा० का० नि० 898A** यत: केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि निम्नलिखित आदेश बनाना लोकहित में आवश्यक है :

अत:, अब, आवश्यक सेवाएं बनाए रखने का अधिनियम, 1968 (1968 का 59) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित सेवाओं में हड़तालों का प्रतिषेध करती है–

(i) कलकत्ता पत्तन या डाक में माल चढ़ाने, उतारने, उसके संचलन या भण्डारकरण से संसक्त कोई सेवा ; और

(ii) भारत सरकार, जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० ————तारीख 4 जून, 1970 द्वारा घोषित, कलकत्ता पत्तन या डाक [जो खण्ड (i) के अन्तर्गत न आता हो] में, या के संसर्ग में कोई सेवा ।

[सं० फा० 2-पी० एल० ए० (48)/69-II]

के० नारायणन,
संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970